(c) The number of soil testing laboratories in the country during 1991-92, 92-93 and 93-94 was 518, 494 and 496, respectively.

(d) At Present, there are 12 static laboratories and 12 mobile soil testing vans in the States of Bihar, West Bengal, Orissa, U.P. and M.P. under FP&ARD of Hindustan Fertilizer Corporation Limited (HFC).

(e) After the completion of Indo-British Fertilizer Education Project, the number of soil samples has declined as no large scale block demonstrations are being laid out. Soil chemists in general are not being sent to areas other than soil testing, excepting one or two cases which were done for administrative reasons.

(f) There is no policy decision to dismantle soil testing laboratories and FP&ARD. But, for better utilization of the existing infrastructure and the manpower, some of the labs have been relocated, conforming to the needs of the marketing zone of HFC.

उर्वरकों का भंडार

4093. श्री एस. एस. सुरजेवाला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में उर्वरकों का अनुमानित भंडार कितना था;

(ख) वर्ष 1994-95 के लिये अनुमानित उत्पादन और मांग कितनी-कितनी थी;

(ग) सरकार ने किसी भी संभावित कमी से निपटने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) क्या देश में यूरिया और अन्य रसायनिक खादों की कमी से किसानों को हुई दिक्कतों तथा हानियों की सरकार को जानकारी है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) 10-6-94 से, यूरिया ही केवल एक ऐसा उर्वरक है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत, मूल्य, आबंटन और संचलन नियंत्रण के अन्तर्गत है। 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार, राज्यों में यूरिया का अनुमानित भंडार 7.91 लाख टन था। स्वदेशी उत्पादन और राज्यों की मूल्यांकित मांग, जैसी कि वर्ष 1994-95 के लिये यूरिया के आबंटन में दिखाया गया है क्रमशः 142.02 और 184.90 लाख टन थे।

(ग) और (घ) वर्ष 1994-95 के दौरान, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आबंटन के संदर्भ में देश में यूरिया की समग्र उपलब्धता पर्याप्त रही है। वर्ष के दौरान पायी गयी अस्थायी और स्थानीय कमियों को वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्तियों को शीघ्र भेजकर पूरा किया गया। जहां तक विनियंत्रित फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों का संबंध है, अगस्त, 1992 में उनके अनियंत्रण से विद्यमान मांग के स्तर के संदर्भ में समग्र उपलब्धता पूर्णतया संतोषजनक रही है।

यूरिया की कमियों से बचने के लिये स्वदेशी उत्पादन को इष्टतम बनाया गया है। स्वदेशी उपलब्धता और मांग के बीच के अन्तर को आयातों से पूरा किया जाता है। फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन को इष्टतम बनाने के लिये 1993-94 से स्वदेशी फास्फेटिक उर्वरकों की बिक्री पर एक विशेष रियायत दी गई है। यह रियायत उन पोटेशिक उर्वरकों पर भी उपलब्ध है, जिनका आयात करना पड़ता है, क्योंकि देश में पोटाश के वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य ज्ञात स्रोत नहीं है।

Reservation in Institutes of Higher Education

4094. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission (UGC) is not in favour of reservation of seats

for SC/ST and OBC candidates in teaching posts particularly for the posts of Readers and Professors in the institutes of higher education;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the details of the directors given by Government to UGC to remove this disparity?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and *(b)According to the information furnished* by the University Grants Commission, the Commission has considered the issue of reservation to the posts of Professors and Readers, at its meeting held on 30th August, 1994. The consensus of the Commission was not in favour of the reservision for SC/STs to the posts of Readers and Professors. The Commission, however, agreed that reservation at the level of lecturer be continued.

(c) The Government has not given any directions to the UGC, in this regard, as the Government Policy does not provide for reservation beyond the pay scale of Rs. 2200—4000.

मंत्रालय द्वारा खरीदी गई पुस्तकें

4095. **श्रीमती वीणा वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विभागों, संस्थाओं और निगमों में पुस्तकें, खरीदी जाती हैं;

(ख) क्या इस संबंध में निश्चित मानदंड हैं ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान हिन्दी निदेशालय और राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा कौन-कौन सी हिन्दी पुस्तकें खरीदी गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) (क) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी विभाग, संस्थायें और निगमों को अपने-अपने कार्य के लिये कतिपय पुस्तकें खरीदनी होती है। तथापि, शिक्षा विभाग में भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिये पुस्तकों की खरीद के लिये योजनायें मुख्यतः निम्न प्रकार हैं:—

(i) हिन्दी भाषा में पुस्तकों की खरीद
—केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रशासित

(ii) सिंधी भाषा में पुस्तकों की खरीद

—केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रशासित

(iii) उर्दू भाषा में पुस्तकों की खरीद
—उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो द्वारा प्रशासित

(iv) अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों की खरीद

—केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान द्वारा प्रशासित

(v) आधुनिक भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की खरीद

—केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा प्रशासित

(vi) संस्कृत/श्रेष्ठ भाषाओं में पुस्तकों की खरीद

—राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा प्रशासित

इसके अतिरिक्त, संस्कृति विभाग में केन्द्रीय पुस्तक चयन योजना (अंग्रेजी और हिन्दी) है जिसका प्रशासन राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता द्वारा किया जाता है।

(ख) शिक्षा विभाग की योजनाओं के महत्वपूर्ण मानदंड निम्न प्रकार हैं:—

1. पुस्तकों (वाणिज्यिक प्रकाशनों को छोड़कर) की कापीराइट का अधिकार रखने वाले अलग-अलग लेखक/संपादक/